निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या 93 वर्ष 2018-19

यह निरीक्षण प्रतिवेदन **अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, रुड़की** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, रुड़की के माह 11/2017 से 11/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री अक्षय कुमार एवं श्री सुनील कुमार ,सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी, एवं श्री अंकित पांडे लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 18/12/2018 से 26/12/2018 तक सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री मनोज कुमार नेगी, श्री अक्षय कुमार सहायक लेखपरीक्षा अधिकारी एवं श्री हरिओम वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 13/11/2017 से 20/11/2017 तक श्री वी. एस. पँवार, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 02/2016 से 10/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी।

2 (i) - इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः .....

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(`लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		अवशेष			
							स्थापना		गैर स्थापना	
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आधिक्य (+)	बचत (-)	आधिक्य (+)	बचत (-)
2016-17	-	-	332.00	281.93	690.69	675.88	-	50.07	-	14.81
2017-18	-	-	363.60	363.56	768.00	759.41	-	0.04	-	8.59
2018-19 (11/2018)	-	-	315.21	213.30	440.40	383.14	-	-	-	-

(ब) केन्द्र पुरोनिर्धारित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अधिक्य (+) `	बचत (-) `
शून्य					

(iii) इकाई को बजट आवंटन उत्तराखण्ड शासन द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई "बी" श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

1. प्रमुख सचिव, सिचाई विभाग, उत्तराखण्ड शासन
2. प्रमुख अभियंता, सिचाई विभाग, यमुना कालोनी, देहरादून
3. मुख्य अभियंता, स्तर-II, सिचाई विभाग, हरिद्वार
4. अधीक्षण अभियंता, सिचाई कार्यमण्डल, हरिद्वार

(iv) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में **अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, रुड़की** को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, रुड़की** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2018 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। नाबार्ड में अन्तर्गत देवबन्द ब्रांच के 52.52 किमी फील्ड गूलों के निर्माण कार्य का विस्तृत विश्लेषण किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

3. मुख्य अभियंता द्वारा विगत लेखापरीक्षा से अब तक की अवधि में दिनांक .....से .....का निरीक्षण किया गया।
4. खण्ड के भण्डार लेखों की अर्द्धवार्षिक लेखाबन्दी तथा यंत्र संयंत्र लेखों की वार्षिक लेखाबन्दी क्रमशः माह 09/2018 तथा 07/2018 तक की गई।

5. फार्म 51: माह 11/2018 तक कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड देहरादून को प्रेषित किया जा चुका है जिसके भाग प्रथम एवं द्वितीय के अवशेष निम्नवत हैः- (धनराशि रु मे)।

   भाग प्रथम ` (-) 10662434.00

   भाग द्वितीय शून्य

6. खण्ड के उचन्त लेखों के अवशेष माह **11/2018** के अन्त में (धनराशि रु मे)

(क)	प्रकीर्ण निर्माण अग्रिम	शून्य
(ख)	सामग्री क्रय	शून्य
(ग)	नगद परिशोधन	शून्य
(घ)	निक्षेप	` 9618484.00
(ङ)	भण्डार	शून्य

भाग-2 'ब'

प्रस्तर-1 रु 962.54 लाख का कार्य टुकड़ों में बाँट कर निष्पादित किया जाना एवं रु 15.96 लाख का व्ययवर्तन किया जाना।

जनपद हरिद्वार के नारसन विकास खण्ड मे देवबन्द ब्रांच पर 52.50 किमी. फील्ड गूलों के निर्माण कार्य हेतु नाबार्ड के अंतर्गत वित्तीय स्वीकृति रु 962.54 लाख की पत्र संख्या 4428/ RIDF-XX (Uttarakhand) /148 PSC-13.01.2015/ 2014-15 दिनांक: 16.03.2015 को प्राप्त हुई। जिस पर रु 962.54 लाख की ही तकनीकी स्वीकृति मुख्य अभियंता (गढ़वाल) सिंचाई विभाग रुड़की द्वारा दिनांक: 25 मई 2015 को प्रदान की गयी

अधिशासी अभियंता,सिंचाई खंड, रुड़की की लेखापरीक्षा माह 12/2018 मे पाया गया कि उपरोक्त कार्य हेतु खण्ड द्वारा वर्ष 2015 से 2018 के मध्य सहायक अभियंता स्तर से कुल 353 अनुबंध गठित किए गए थे, जिनके सापेक्ष विभाग द्वारा कुल रु 930.23 लाख का भुगतान किया गया था। नियमानुसार उपरोक्त कार्य **e-tendering** के माध्यम से निविदा आमंत्रित कर अधीक्षण अभियंता स्तर से अनुबंध गठित कर, किया जाना चाहिए था। आगे यह भी पाया गया कि कार्य हेतु आवंटित धनराशि मे से अनुबंध, वर्क आर्डर एवं **contingency** मे कुल 943.76 लाख का ही भुगतान किया गया था, जबकि मासिक लेखे के साथ संलग्न प्रपत्र-64 के अनुसार कार्य पर माह 11/2018 तक रु 958.92 लाख का व्यय किया जा चुका था। अवशेष धनराशि रु 15.96 लाख का अन्य कार्य पर भुगतान किया गया था।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर खण्ड द्वारा अवगत करवाया गया कि गूल हेतु भूमि की उपलब्धता,कास्तकारों की सहमति के अनुसार एवं स्थानीय लोगों को लाभ उपलब्ध करने हेतु सहायक अभियंता स्तर से छोटे छोटे अनुबंध किए गए, साथ ही अवगत करवाया गया कि रु 930.23 लाख कार्य पर तथा अवशेष धनराशि **contingency** एवं अन्य कार्य पर व्यय किया गया। जिसके लिए आवश्यक अनुमति प्राप्त की गयी थी। खण्ड का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि एक करोड़ से अधिक का कार्य होने के कारण अधीक्षण अभियंता स्तर से **e-tendering** के माध्यम से अनुबंध गठित किया जाना चाहिए था। खण्ड में **e-tendering** के माध्यम से अनुबंध गठित किए जाने की परंपरा थी। साथ ही अधिप्राप्ति नियमावली के अनुसार छोटे-छोटे भागों में कार्य तभी विभाजित किया जा सकता है यदि कार्य का त्वरित सम्पादन किया जाना हो किन्तु उपरोक्त कार्य वर्ष 06/2015 से माह 11/2018 तक चलता रहा, साथ ही व्ययवर्तन से पूर्व सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति सम्बन्धी भी कोई अभिलेख लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नही किया गया तथा न ही संबन्धित धनराशि का लेखापरीक्षा तिथि तक समायोजन किया गया था।

अत: रु 962.54 लाख के कार्य टुकड़ों में करने एवं कार्य पर **15.96** लाख का व्ययवर्तन किए जाने का प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता हैं।

भाग II (ब)

प्रस्तर -2 ठेकेदार के देयक से कम रॉयल्टी की कटौती किये जाने से सरकार को रु०3,60,331/- की हानि ।

कार्यालय अधिशासी अभियंता सिंचाई खण्ड रुड़की की लेखापरीक्षा (12/2018) के दौरान जनपद हरिद्वार के भगवानपुर विकास खण्ड में ग्राम छंग्गा माजरी की बाढ़ सुरक्षा एवं कटाव सुरक्षा कार्य की नमूना जांच मे पाया गया कि कार्य कि वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति रु० 1249 लाख (03/2014) एवं प्राविधिक स्वीकृति रु० 1248.37 लाख (08/2014) की प्राप्त थी | दिनांक 30.05.2014 को कार्य निष्पादन हेतु रु० 9,43,72,286/- का अनुबंध संख्या 10/SE/2014-15 गठित किया गया | खण्ड द्वारा ठेकेदार को वाउचर संख्या 7 (FINAL BILL) दिनांक 28/02/2018 द्वारा रु० 35,89,603/- (कुल रु० 6,03,67,679/-) का भुगतान करते हुये अनुबंध का अंतिमिकरण किया गया | ठेकेदार के अन्तिम बिल के साथ संलग्न कटौतियों से संबन्धित विवरण के अनुसार ठेकेदार के बिलों से कुल रु० 6,87,071/- की रॉयल्टी काटी गई है जबकि खण्ड द्वारा प्रस्तुत अन्तिम बिल (वाउचर संख्या 7 दिनांक 28.2.2018) मे कार्य निष्पादन (Total Work executed) के अनुसार ठेकेदार से कुल रु० 46,15,021/- (वर्तमान की दरों के आधार पर) की धनराशि रॉयल्टी के रूप में काटी जानी थी | यनि खण्ड द्वारा ठेकेदार के बिलों से { रु० 46,15,021/- (-)रु० 6,87,071/-} = रु०39,27,950/- की कम रॉयल्टी काटी गई है |

उक्त की ओर लेखापरीक्षा द्वरा इंगित करने पर खण्ड द्वारा अपने उत्तर में बतलाया कि रॉयल्टी की कटौती शेष नही है, साक्ष्य के रूप माप पुस्तिका के अनुसार रॉयल्टी विवरण संलग्न है, साथ ही यह भी बतलाया कि परीक्षण करने के पश्चात तद्नुसार कार्यवाही की जायेगी तद्नुसार प्रधान महालेखाकर लेखापरीक्षा को अवगत कर दिया जायेगा | खण्ड द्वारा उत्तर के साथ संलग्न माप पुस्तिका विवरण के आधार पर ठेकेदार से कुल रु० 47,96,865/- की कटौती रॉयल्टी के रूप में की जानी थी। जिसमें से ठेकेदार के बिलों से कुल रु० 6,87,071/- की रॉयल्टी पुरानी दरों के अनुसार काटी गई है और रु० 37,49,463/- की रॉयल्टी के पेपर ठेकेदार द्वारा खण्ड को प्रस्तुत किये हैं। खण्ड द्वारा रॉयल्टी पेपर लेखापरीक्षा के समक्ष पुष्टि हेतु प्रस्तुत नही किये गये |

खण्ड का उत्तर लेखापरीक्षा को आंशिक रूप से मान्य है क्योंकि खण्ड द्वारा लेखापरीक्षा के समक्ष ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत रॉयल्टी पेपर पुष्टि हेतु प्रस्तुत नही किये गये | चूंकि खण्ड द्वारा उत्तर के साथ प्रस्तुत रॉयल्टी विवरण के आधार पर ठेकेदार द्वारा कुल रु० 37,49,463/- की धनराशि के रॉयल्टी पेपर खण्ड को प्रस्तुत किये हैं | इस प्रकार खण्ड द्वारा प्रस्तुत रॉयल्टी विवरण को आधार मानते हुये [रु० 47,96,865/- (-)रु० 6,87,071/- (-) रु० 37,49,463/-] = रु० 3,60,331/- की रॉयल्टी ठेकेदार से कम काटी गई है | (विवरण संलग्न)

अतः ठेकेदार के बिलों से कम रॉयल्टी काटने से सरकार को रु० 3,60,331/- की हानि होने के प्रकरण को उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है |

भाग -III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन सं0/वर्ष	अनिस्तारित प्रस्तर	
	भाग–दो 'अ'	भाग–दो 'ब'
48/2008-09	-	01
39/2013-14	-	01
110/2015-16	-	01, 02
55/2017-18	-	01

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति

विगत अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या पूर्व में ही कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को प्रेषित की जा चुकी है । तथा 55/2017-18 प्रतिवेदन खण्ड में उपलब्ध न होने के कारण आख्या प्रेषित नहीं की जा चुकी जो प्राप्त कर अनिस्तारित प्रस्तरों की आख्या शीघ्र प्रेषित कर दी जायेगी ।

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

------ शून्य -----

भाग-V

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, रुड़की** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि **लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः**
   शून्य
2. **सतत् अनियमितताएः**
   (i) शून्य
3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिशासी अभियन्ताओ द्वारा खण्ड का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम	अवधि
1.	श्री नवीन सिंघल	अधि. अभि.	28/06/2017 से 01/11/2017 तक।
2.	श्री आर. के. तिवारी	अधि. अभि.	02/11/2017 से 07/01/2018 तक।
3.	श्री ए. एस. बिष्ट	अधि. अभि.	08/01/2018 से वर्तमान तक ।

4. विगत संप्रेक्षा से अब तक निम्नलिखित खण्डीय लेखाधिकारी खण्ड से संबंद्ध रहे।

1.	श्री राजीव गोयल	वरिष्ठ खंडीय लेखाधिकारी	विगत लेखापरीक्षा से 31/07/18 तक।
2.	श्री विकास यादव	खंडीय लेखाधिकारी	31/07/2018 से वर्तमान तक ।

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, रुड़की** को इस आशय से प्रेषित है कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार आर्थिक क्षेत्र-2, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, कार्यालय सह आवासीय परिसर, पोस्ट ऑफिस-कौलागढ़, देहरादून को प्रेषित कर दी जाये।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

आर्थिक क्षेत्र- II